



नगर पालिक निगम, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

(संपत्तिकर स्व-निर्धारण विवरणी) वर्ष 2020-2021 आई.डी.नं.

--	--	--	--	--	--	--	--

वार्ड क्रमांक

क्रमांक

जोन क्रमांक

1. संपत्ति के स्वामी का नाम	:-	2. पिता/पति का नाम	:-	3. संपत्ति कहाँ स्थित है का पूरा पता	:-	4. दूरभाष / मोबाइल नं.	:-	5. भवन का प्रकार (पवका/कच्चा)	:-	6. भवन निर्माण की अवधि	:-	7. भूखण्ड का क्षेत्रफल	:-	8. रापति आवासीय है या व्यवसायिक या औद्योगिक	:-	9. संपत्ति कर आवासीय जोन क्रं.	_____	संपत्ति कर व्यवसा. जोन क्रं.	_____	संपत्ति कर औद्योगिक जोन क्रं.	_____										
10. निर्मित क्षेत्र (राष्ट्रीय में)	भूलल	प्रथमताल	द्वितीय ताल	अन्यताल	भू-गतताल	भूलल	प्रथमताल	द्वितीय ताल	अन्यताल	भू-गतताल	भूलल	प्रथमताल	द्वितीय ताल	अन्यताल	भू-गतताल	भूलल	प्रथमताल	द्वितीय ताल	अन्यताल	भू-गतताल											
11. खुली भूमि का क्षेत्रफल	:-	12. आवासीय भाग का प्रारंभिक वार्षिक भाड़ा मूल्य	व्यवसायिक भाग का प्रारंभिक वार्षिक भाड़ा मूल्य	व्यवसायिक भाग का प्रारंभिक वार्षिक भाड़ा मूल्य	व्यवसायिक भाग का प्रारंभिक वार्षिक भाड़ा मूल्य	व्यवसायिक भाग का प्रारंभिक वार्षिक भाड़ा मूल्य	व्यवसायिक भाग का प्रारंभिक वार्षिक भाड़ा मूल्य	व्यवसायिक भाग का प्रारंभिक वार्षिक भाड़ा मूल्य	व्यवसायिक भाग का प्रारंभिक वार्षिक भाड़ा मूल्य	व्यवसायिक भाग का प्रारंभिक वार्षिक भाड़ा मूल्य	व्यवसायिक भाग का प्रारंभिक वार्षिक भाड़ा मूल्य	व्यवसायिक भाग का प्रारंभिक वार्षिक भाड़ा मूल्य	व्यवसायिक भाग का प्रारंभिक वार्षिक भाड़ा मूल्य	व्यवसायिक भाग का प्रारंभिक वार्षिक भाड़ा मूल्य	व्यवसायिक भाग का प्रारंभिक वार्षिक भाड़ा मूल्य	व्यवसायिक भाग का प्रारंभिक वार्षिक भाड़ा मूल्य	व्यवसायिक भाग का प्रारंभिक वार्षिक भाड़ा मूल्य	व्यवसायिक भाग का प्रारंभिक वार्षिक भाड़ा मूल्य	व्यवसायिक भाग का प्रारंभिक वार्षिक भाड़ा मूल्य	व्यवसायिक भाग का प्रारंभिक वार्षिक भाड़ा मूल्य	व्यवसायिक भाग का प्रारंभिक वार्षिक भाड़ा मूल्य										
13. कुल वार्षिक भाड़ा मूल्य	:-	14. 10% रु-रुपय की छूट के पश्चात् कुद्द वार्षिक भाड़ा मूल्य (नियम 7)	:-	15. कुद्द देय सम्पत्तिकर (..... प्रतिशत)	:-	16. आवासीय भवन पर रखाई का स्वयं रहवास है या किराये पर	:-	17. आवासीय भवन में भवन स्वामी के स्वयं रहवास पर 50 (प्रतिशत) छूट के पश्चात् देय सम्पत्तिकर	:-	18. निगम अधिनियम 1956 की धारा 136 के अधीन मिलने वाली छूट यदि पात्रता हो तो	:-	19. निधारित अवधि 30 नवंबर 2020 के पूर्व एक मुक्त घालू संपत्तिकर मांग की राशि जमा करने पर धारा 137 के अधीन विशेष छूट (..... प्रतिशत)	:-	20. शिक्षा उपकर (कुद्द वा.भा. मूल्य का 2 प्रतिशत)	:-	21. अनिवार्य समेकितकर - अ) संपत्तिकर दाता के लिये 600.00 रु. वार्षिक। ब) गैर संपत्तिकर दाता के लिये 300.00 रु. वार्षिक।	:- :-	22. बकाया राशि - अ) पूर्व वर्ष का संपत्तिकर बकाया हो तो ब) पूर्व वर्ष का समेकितकर बकाया हो तो कुल बकाया	:- :-	23. विलम्ब/अधिभार कुलक	:-	24. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 138 की उपधारा (2-क) के अंतर्गत शास्ति	:-	25. रेनवाटर हार्डेस्टिंग वार्जेस	:-	26. विवरणी प्रपत्र कुलक	:-	27. कुल देय राशि	:-	28. कुल प्राप्त राशि	:-

सत्यापन

भवन / संपत्ति स्वामी के हस्ताक्षर

में आत्मज निवासी

यह सत्यापित करता हूँ कि विवरणी में दी गयी जानकारी सही हैं और
यह कि मैंने जिस भवन / भूमि के संबंध में विवरणी दी हैं, उसका मैं स्वामी हूँ। स्वामित्व संबंधी अभिलेखों की प्रति संलग्न कर रहा हूँ।

भवन / संपत्ति स्वामी के हस्ताक्षर



कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

क्रमांक /चार/तीन/सं.क.पि./ 2020/ 172

फिलाई, दिनांक 19/03/2020

// अधिसूचना //

(वित्तीय वर्ष 2020-21 में संपत्तिकर के स्व-निर्धारण हेतु वार्षिक भाड़ा मूल्य की दरे एवं जोनों का वर्गीकरण)

छत्तीसगढ़ नगर पालिक नियम अधिनियम 1956 के अधीन छत्तीसगढ़ नगर पालिका (भवनों/भूमियों के वार्षिक भाड़ा मूल्य का अवधारण नियम) नियम, 1997 के अंतर्गत नियम 6 के तहत वित्त वर्ष 2020-21 में संपत्तिकर के स्वभिधारण हेतु संकल्प का अंगीकरण महापौर परिषद नगर पालिक नियम भिलाई द्वारा प्रस्ताव क्र. 05 दिनांक 02.03.2020 में पारित किया गया, जिसकी अधिसूचना नियम क्षेत्र में स्थित भवन/भूमि के स्वामियों के जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है, विवरण निम्नानुसार है:-

1. जोनवार भूमियों के लिए वार्षिक भाड़ा मूल्य की दरें प्रति वर्गफुट में -

जॉन क्रमांक	आवासीय दरे	व्यवसायिक दरे
जॉन-1	रु. 10.08 प्रति वर्गफुट	रु. 12.60 प्रति वर्गफुट
जॉन-2	रु. 5.04 प्रति वर्गफुट	रु. 6.30 प्रति वर्गफुट
जॉन-3	रु. 2.52 प्रति वर्गफुट	रु. 3.78 प्रति वर्गफुट
जॉन-4 (औद्यो.)	-	रु. 3.14 प्रति वर्गफुट

2. सम्पत्तिकर निर्धारण के लिए जोन का वर्गीकरण - वर्तमान में प्रवर्षित संपर्किकर के लिए आवासीय, व्यवसायिक एवं औद्योगिक के अनुसार कुल 4 (चार) जोन में विभागित हैं। तदनुसार जोन का वर्गीकरण निम्नानुसार है:-

ज्ञोन-१ (आपात्कीय)

वार्ड-1 में स्थित अनुपात रेसीडेन्टी, बैंक कालोनी जुनवानी, गांधी नगर जुनवानी, चौहान ग्रीन वेली तथा अन्य समान भूमि मूल्य के क्षेत्र, वार्ड-02 स्ट्रीटिंगनगर (पूर्व/पश्चिम), चौहान टाउन, सूर्यविहार उसके मनुरुप सभी प्रकार घी कालोनियों, वार्ड-03-पोतीलाल नेहरू नगर (पूर्व/पश्चिम), प्रियदर्शी परिसर (पश्चिम), वार्ड-04-प्रियदर्शीनीय परिसर (पूर्व), बी.एस.पी. क्षेत्र के साप्तर्ण आवासीय रोडटर क्षेत्र (मरोदा सेक्टर, रिसाली सेक्टर, रुआवाँधा रोडटर को छोड़कर) एवं अन्य समान भूमि मूल्य के क्षेत्र। एवं क्षेत्र के सभी प्रमुख मार्गों में स्थित आवासीय भवन। वार्ड-01 जुनवानी (खम्हरिया) वार्ड-2 पुष्पकनगर, आनंदनगर, शिवेणीनगर, माडल टाउन, वार्ड-03- दीशित कालोनी, गांधी नगर, वार्ड 04-साधिक नगर, वार्ड-12 कान्नेवटर कालोनी, वार्ड-9 कृष्णा ग्रान्ड सिटी, वार्ड-07- फरीदनगर, अथप्पानगर, शिवाजी नगर, मैत्रीविहार, उल्लास नगर, दुर्गा नगर, कुबेर इन्कलेय, आनंदपुरम् केस-2, वार्ड-8, कोहका, सनातन नगर विवेकानंद नगर, शिल्कानगर, हां ३० थोर्ड कालोनी, आनंदपुरम् केस-1, सूर्य रेसीडेन्टी, कोहका, वार्ड-11-अम्बेडकर नगर, गांधी कालोनी, वार्ड-15-वैशालीनगर, वार्ड-10-शास्त्रीनगर, घनद्रगाम विवेकानंद नगर, राधिका रायल अपार्टमेंट, साकेत नगर, कोहका वार्ड-14 सुन्दरनगर, रामनगर मुल्य मार्ग, आजाद चौक से गौरव पथ तक बाबादीप सिंह नगर, जवाहर नगर, बसंत विहार, गुरुनानक नगर, वार्ड-16-कैलाशनगर, दत्तीप परिसर, प्रगतिनगर, श्रीराम लाईट्स, सुन्दरविहार, ए.सी.सी. कर्मचारी कालोनी, रसील नगर कुरुक्षेत्र, प्रियदर्शी सोसायटी क्रूरुद वार्ड-26-हां ३० थोर्ड कालोनी, वार्ड-38-दीनदयालपुरम्, शिवाजी नगर, वार्ड-32, न्यू सुर्जीपार, एवं अन्य समान भूमि मूल्य के क्षेत्र।

लोग-1 (संस्कृतादिक)

ओल-2 (आवासीय)

वार्ड-3 क्रमांक-3 कोसा नगर स्थित ई.डबल्यू.एस. भवन, आर्य नगर, मांझी नगर जुनवानी, कृपालनगर कोहका, वाड ६९-७०-हुडका कालाना,
वार्ड-19 शारदी नगर कैम्प-1 स्थित आवासीय भवन एवं अन्य समान घूमि मूल्य के होत्र (मुख्य रोड छोडकर)

ओन-2 (अवसाधिक)

भूमिक वस्तियों के मध्य स्थित व्यवसायिक भवन एवं अन्य समान भूमि मूल्य के क्षेत्र।

जोन-3, (आवासीय)

वार्ड-02- इंदिरानगर मॉडल टाउन अभियान बस्ती, वार्ड-01 खगहरिया बस्ती, जुनबानी पुरानी बस्ती, वार्ड-03, कोसानगर, वार्ड-04- कृष्णगानगर, संजयनगर, गौतमनगर, भीमनगर, देवांगन पारा, कुम्हारपारा, बलराम चौक, गणेश चौक, लोहारपारा, व्यू. कृष्णगानगर, वार्ड-05-राजीवनगर, लक्ष्मीनगर, आदशपारा, दुर्गापारा, गौतमनगर, उद्धियापारा, सुपेला, देवांगनपारा सुपेला, वार्ड-06-शंकरनगर, रिंगरीपारा, सुपेला बस्ती, इंदिरानगर, वार्ड-12-पाँच रास्ता कान्द्रेवटर कॉलोनी, बाराद्वारी कालोनी, बजरंग चौक, सुपेला वार्ड-09-कोहका पुरानी बस्ती, कोहका, झोपड़पारा, वार्ड-07-मुख्यमंडल नगर, कोहका, वार्ड-11-अम्बेडकर नगर गंधी बस्ती (अन्दर भाग), वार्ड-14 रामनगर अन्दर भाग, वार्ड-13-राजीव नगर, रामनगर (पश्चिम) भाग-“A”, वार्ड-16-कुरुद, हरिजन नगर, वार्ड-17, चन्द्रनगर, वार्ड-18, प्रेमनगर दुर्ग चौक कम्प्य-1, वार्ड नं-19, शास्ती नगर कम्प्य-1 स्थित अभियान बस्तीलोनी वार्ड-20 प्रगतिनगर कैम्प-1, वार्ड-21 खुदूदनगर कैम्प-1, वार्ड-24 शारदापारा गंधी चौक कम्प्य-2, वार्ड-25 संतोषीपारा, कम्प्य-2, वार्ड-23 रविदासनगर वार्ड-22 श्यामनगर, वार्ड-28 छावनी, वार्ड-37 चन्द्रशेखर आजाद नगर, वार्ड-38 शहीदवीरसायण रिंग नगर (जी.ई. रोड को छोड़कर) वार्ड-36 खुर्सीपार जोन-1 गौतमनगर, वार्ड-35 खुर्सीपार जोन-2 शास्ती नगर, वार्ड-34 खुर्सीपार जोन-2, नेताजी सुभाष वार्ड, वार्ड-30 बालाजी नगर, वार्ड-29 बापूनगर, वार्ड-33 खुर्सीपार वार्ड जोन-3, वार्ड-31 तुर्जा नंदित, एवं अन्य समाज भूमि नूल्य के क्षेत्र।

जोन-3 (व्यवसायिक)

जोन-3 के अन्तर्गत आने वाले आवासीय क्षेत्र के अंदर भाग में कर रहे व्यवसाय पर जोन-3 के अन्तर्गत व्यवसायिक दर से जगता की जावेगी ।

जोन क्रमांक-4 (औद्योगिक) :-

नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रान्तर्गत स्थित औद्योगिक संस्थान एवं अन्य समाज भूमि मूल्य के क्षेत्र ।

3- मोबाईल टावरों एवं भूमिगत केबल पर सम्पत्तिकर अवधारण के संबंध में -

भूमिगत केबल पर संबंधित जोन के अनुसार करों का निर्धारण वार्षिक भाषा मूल्य की दर से सम्पत्तिकर का अधिरोपण किया जावेगा ।

1. भूमिगत केबल पर सम्पत्तिकर का अवधारण - भूमिगत केबल क्षेत्रफल पर उक्त क्षेत्र के संबंधित सम्पत्तिकर व्यवसायिक जोन के भूमि के वार्षिक भाषा मूल्य की दर से सम्पत्तिकर का अवधारण किया जावेगा ।
2. मोबाईल टावर पर सम्पत्तिकर का अवधारण - मोबाईल टावर पर प्रति टावर पचास हजार रु. वार्षिक सम्पत्तिकर का अधिरोपण निगम के सभी क्षेत्र में किया जावेगा । आवासीय ऐसे भवन जिन पर मोबाईल टावर स्थापित हैं उक्त आवासीय भवन के स्वामी को स्वयं के रहवास के अंतर्गत मिलने वाली सम्पत्तिकर पर 50 प्रतिशत छूट की प्राप्ति नहीं होती ।
3. भवनों की छतों पर लगे हुए होस्टिंग पर संपत्तिकर का निर्धारण उक्त क्षेत्र के संबंधित संपत्तिकर व्यवसायिक जोन के वार्षिक भाषा मूल्य की दर से संपत्तिकर देय होगा ।
- 4- शिक्षा उपकर - इकाई उपकर शुद्ध वार्षिक भाषा मूल्य पर 2 प्रतिशत की दर से अधिरोपित किया जावेगा ।
- 5- समेतकर - छतरपुर राज्य पत्र शायपुर दिनांक 05.02.2010 के अनुसार नवारीय प्रशासन एवं विकास विभाग, रायपुर की अधिकृत नं. 633/7703/18/2009-छ.ज. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 132 की उपर्याक (1) के अन्तर्गत (ग), (घ), (ङ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एवं द्वारा सामान्य स्वच्छता कर, सामान्य प्रकाश कर व सामान्य अधिकार देने की समेतित व्यूहालम दरों में निम्नानुसार संशोधन किया गया है । अर्थात् सामान्य स्वच्छता कर, सामान्य प्रकाश कर, सामान्य अधिकार की समेतित व्यूहालम दर सम्पत्तिकर दाता के लिये रु. 50/- प्रतिमाह एवं नैर सम्पत्तिकर दाता के लिये 25/- प्रतिमाह किया गया है । नदलुगार नगर निगम भिलाई में अवधारित किया जावेगा ।
- 6- सम्पत्तिकर निर्धारण हेतु भवन के निर्माण की गुणवत्ता के आधार पर भवन की वार्षिक भाषा मूल्य की दरें निम्नानुसार हैं :-

वार्षिक भाषा मूल्य की दरें (दरें प्रति वर्गफूट)

जोन क्र.	पछा भवन (आर.सी.सी., या पथर की छत युक्त पहुंच भवन)		आंशिक पछा भवन (सीमेंट या लोहे की चादर/कर्वेनु (टाईल्स) की छत युक्त पहुंच भवन)		कच्चा भवन		खुली भूमि	मुख्य सहक या बाजार में स्थित भूमि/भवन		
	आवा.	व्यव.	आवा.	व्यव.	आवा.	व्यव.				
1.	23.94	52.92	20.16	48.50	13.22	17.00	10.06	12.60	41.58	55.44
2.	16.38	48.50	13.22	44.10	10.08	13.22	5.04	6.30	32.76	52.92
3.	13.86	16.38	10.08	13.86	8.18	10.08	2.52	3.78	26.46	32.76
4. औद्योगिक	-	16.38	-	12.60	-	8.82	-	3.14	-	-

7- अवधारित वार्षिक भाषा मूल्य पर वार्षिक सम्पत्तिकर की दरें निम्नानुसार हैं :-

क्र.	अवधारित वार्षिक भाषा मूल्य	वार्षिक सम्पत्तिकर की दरें (प्रतिशत में)
1.	कवेलू छत छहित कच्चे मकान जिलका क्षेत्रफल 500 चर्चाफूट से अधिक न हो ।	संपूर्ण छुट (निम्नानुसार उमेकित कर देय होगा)
2.	तेरी छाई भूमि और भवन, जिन पर खामित्व या कम्जा शाहुरी गरीबों का हो तथा जिलका निर्माण शाहुरी गरीबों के लिए भास्त लारकार राज्य रास्तार छतीसगढ़ गढ़ क्रिंगा गंडल या नगर पालिक निकाय की किसी नृगत निर्माण योजना के अंतर्गत हुआ हो ।	संपूर्ण छुट (लियमानुसार उमेकित कर देय होगा)
3.	वार्षिक भाषा मूल्य 12000/- तक	6 प्रतिशत
4.	वार्षिक भाषा मूल्य 12001/- से 20000/- तक	8 प्रतिशत
5.	वार्षिक भाषा मूल्य 20001/- से 30000/- तक	10 प्रतिशत
6.	वार्षिक भाषा मूल्य 30001/- से 50000/- तक	12 प्रतिशत
7.	वार्षिक भाषा मूल्य 50001/- से 75000/- तक	15 प्रतिशत
8.	वार्षिक भाषा मूल्य 75001/- से 100000/- तक	18 प्रतिशत
9.	वार्षिक भाषा मूल्य 100001/- से अधिक	20 प्रतिशत

8- छूट - वर्तमान में अवधारित वार्षिक भाङ्गा मूल्य / देय सम्पत्तिकर पर छूट निम्नानुसार है :-

- बहुमंजिला भवनों के वार्षिक भाङ्गा मूल्य की दर में छूट - यथावत ।
- भवनों के रज़-रखाक के प्रयोजन से कुल वार्षिक भाङ्गा मूल्य में पूर्वक 10 प्रतिशत की छूट यथावत ।
- भवन स्वामियों के स्वयं के विवास करने पर देय सम्पत्तिकर में छूट-पूर्वक अनुसार स्वयं के रहवास वाले भवन पर भवन स्वामी को कुल देय सम्पत्तिकर में से 50 प्रतिशत तक राशि की छूट देय होगी परन्तु यदि उक्त आवासीय भवन में मोबाइल टाकर स्थापित हैं ऐसी दशा में भवन स्वामी यो उक्त छूट की पाप्रता नहीं रहेगी ।

4.	ग्राम सरकार, राज्य सरकार या नगर पालिक निकायों की शैक्षणिक संस्थानों पंजीकृत धर्मार्थ न्यास, आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 12 की उपधारा (1) के अंतर्गत पंजीकृत शैक्षणिक संस्थान ।	संपूर्ण छूट
5.	शैक्षणिक संस्थान जो की उपरोक्त श्रेणी (4) के अधीन आव्यादित नहीं है।	निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35) के अनुपालन के अनुपात में पचास प्रतिशत की अधिकाराम सीमा के अद्यादीन रहते हुए ऐसे अनुपालन की सीमा तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना ।
6.	निःशुल्क व्यतिहारित (समान अवसर, अधिकार का संरक्षण तथा पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 (1996 का 1) के अंतर्गत निःशुल्क व्यतिहारितों के स्वामित्व के अधीन भूमि और भवन	पच्चीस प्रतिशत ।
7.	नेत्रहीन व्यक्तियों तथा तसाक्षुदा/परिव्यक्ता (विरामित) महिला के स्वामित्व वाली भूमि और भवन ।	पचास प्रतिशत ।

09- मिलाई इस्पत्न संदर्भ के स्वामित्व के भूमियों एवं भवनों का भी 2020-21 के लिये निर्धारित दर अनुसार सम्पत्तिकर पुनर्निर्धारण किया जावेगा ।

10- नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 137 के अंतर्गत छूट-वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु सम्पत्तिकर निर्धारित अवधि के पूर्व राशि जमा करने वाले भवन/भूमि स्वामियों को निम्नानुसार छूट की पाप्रता होगी :-

- 01 अप्रैल 2020 से 31 मई 2020 के भीतर देय सम्पत्तिकर जमा करने पर 8.25 प्रतिशत की छूट ।
- 01 जून 2020 से 31 जुलाई 2020 के भीतर देय सम्पत्तिकर जमा करने पर 5 प्रतिशत की छूट ।
- 01 अगस्त 2020 से 30 सितम्बर 2020 के भीतर देय सम्पत्तिकर जमा करने पर 4 प्रतिशत की छूट ।
- 01 अक्टूबर 2020 से 30 नवम्बर 2020 के भीतर देय सम्पत्तिकर जमा करने पर 2 प्रतिशत की छूट ।

11- अधिभार-घ.ग. नगर पालिक अधिनियम 1956 का धारा 138(2) की उपधारा (1) के अधीन निगम द्वारा अंगीकृत किये गये संकल्प के आधार पर भूमि या भवन का प्रत्येक स्वामी, अपनी भूमि या भवन का वार्षिक भाङ्गा मूल्य निर्धारित करेगा तथा इस निमित्त विहित प्रारूप में एक विकरणी के साथ संपत्तिकर की रकम, निगम द्वारा नियत की गई तारीख को या उसके पूर्व जमा करेगा जिसमें असफल रहने पर, ऐसी दर से अधिभार जैसा कि निगम द्वारा अवधारित किया जाये, प्रभारित किया जाएगा । भवन स्वामी को वित वर्ष 2020-21 में बिना अधिभार के स्व-विकरणी प्रस्तुत करने एवं देय राशि जमा करने की अंतिम अवधि 30 नवम्बर 2020 तक निर्धारित है, परन्तु इसके पश्चात 60 दिनों की विलम्ब की अवधि पर 5 प्रतिशत अतिरिक्त अधिभार एवं 60 दिन से अधिक के विलम्ब की अवधि पर 10 प्रतिशत अधिभार देय कुल राशि पर देय होगा तथा वित वर्ष 2020-21 के बाद अर्थात् 31 मार्च 2021 के पश्चात कुल देय राशि पर 18 प्रतिशत की दर से अधिभार के अतिरिक्त (1), नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 138 की उपधारा (2-क) के अंतर्गत - यदि ऐसा व्यक्ति जिसका दायित्व था कि वह 31 मार्च के पूर्व खनिर्धारण पत्रक प्रस्तुत करे, के द्वारा यह पत्रक प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो उस पर चूक हेतु एक हजार रुपये की शास्ति अधिरोपित की जाएगी ।

(2) नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 138 की उपधारा (3) उपधारा (2) के अंतर्गत किये गये निर्धारण में निम्न स्तर पर दस प्रतिशत तक का अंतर आता है, परन्तु कर देय होने की तिथि तथा अंतर की राशि जमा करने की तिथि के बीच (अंतर) के प्रत्येक माह के लिए दो प्रतिशत की दर से अधिभार के साथ निर्धारित निर्धारण आवेदन के दो सप्ताह के भीतर कमी की राशि जमा करें, तो शास्ति के प्रयोजन पर दृष्टान नहीं दिया जायेगा, तथा ऐसे मामलों में जहाँ अंतर दस प्रतिशत से अधिक हो, तो भूमि और / या भवन का स्वामी, यथास्थिति, कर देय होने की तिथि तथा अंतर की राशि जमा करने की तिथि के बीच (अंतर) के प्रत्येक माह के लिए दो प्रतिशत की दर से अधिभार के अतिरिक्त उसके द्वारा किये गये स्व-निर्धारण तथा निगम के द्वारा किये गये निर्धारण के अंतर के पांच गुने के बराबर शास्ति भुगतान करने का दायी होगा ।

(3) नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 138 की (4) उपधारा (3) के अधीन पारित किये गये आदेश के विरुद्ध अपील में-इन-काउंसिल में होगी :-

परन्तु इस उपधारा के अंतर्गत कोई भी अपील तब तक ग्रहण नहीं की जाएगी जब तक कि उसके साथ उपधारा (3) के अंतर्गत जारी आदेश के अनुसार मांगी गई राशि के सविरोध भुगतान करने का प्रमाण संलग्न नहीं किया गया हो ।

उपरोक्तानुसार अधिसूचना 01 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक नगर पालिक निगम, मिलाई क्षेत्र में स्थित समस्त भवन/भूमि स्वामी/दर्कलकर पर प्रभारक्षील होगी ।